


FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बाला
वादी बनाम प्रतिवादी
सुमेरसिंह उम्मेदसिंह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या-116/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.10.2021	<p>प्रार्थी सुमेरसिंह पुत्र शंकरलाल जाति विश्णोई निवासी मतवालों की ढाणी बालतहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प बाला में धारा-88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 53 रकबा 2.0710 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि को वादी ने खरीद किया तब वादी के पिता शंकरलाल ने भूलवश वादी का नाम सुमेरसिंह के बजाय सुमेरराम दर्ज करवा दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुमेरसिंह है तथा सरकारी दस्तावेज भी सुमेरसिंह के नाम से जारी किये हुए हैं अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में सुमेरराम पुत्र शंकरराम के स्थान पर सुमेरसिंह पुत्र शंकरलाल की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।</p> <p>वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी सुमेरसिंह ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। तथा प्रतिवादी उम्मेदसिंह तथा समुदेवी के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी सुमेरसिंह के आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड, राशनकार्ड, तथा प्रतिवादी उम्मेदसिंह, समुदेवी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि पेश किये हैं। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत बाला द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी तथा प्रतिवादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में सुमेरराम गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।</p> <p>पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम सुमेरसिंह के बजाय</p>	

	<p>सुमेरराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम मतवालों की ढाणी बाला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 2.0710 हैक्टेयर के संयुक्त खातेदारी भूमि में सुमेरराम पुत्र शंकरराम के स्थान पर सुमेरसिंह पुत्र शंकरलाल की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम बाला में खुले में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा</p>	
--	---	--

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बाला

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
सुमेरसिंह पुत्र शंकरलाल		01 उम्मेदसिंह पुत्र शंकरलाल
जाति विश्णोई निवासी मतवालों		02 समुदेवी पत्नी शंकरलाल
की ढाणी बाला तहसील बिलाड़ा		जातियान विश्णोई निवासी
		मतवालों की ढाणी बाला
		तहसील बिलाड़ा
		03 राजस्थान सरकार जरिये
		तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 116/2021

2021

निर्णय

दिनांक :- 27.10.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेँ।

होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम ग्राम मतवालों की ढाणी बाला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 2.0710 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में सुमेरराम पुत्र शंकरराम के स्थान पर सुमेरसिंह पुत्र शंकरलाल की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिंग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा